बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

फाइल संख्या–18 / विविध–18 / 2025555(18) / स्वास्थ्य, पटना, दिनांक–03/06 /2026

बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं पंजीकरण) विनियम 2026

भारत के संविधान के अनुच्छेद–162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना और निबंधन को विनियमित करने के लिए यह विनियम बनाते हैं।

अध्याय I

प्रारंभिक

1. *संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ* –

(1) इस विनियम को बिहार लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं निबंधन) विनियम 2026 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह बिहार राज्य के सभी लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।

(3) यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

(4) यह विनियम भारत सरकार के नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 अथवा बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 का भाग नहीं होगा।

2. *परिभाषाएँ* – जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में –

(क) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस विनियम के प्रावधान 4 के अन्तर्गत स्थापित जिला पंजीकरण प्राधिकार,

(ख) "औपबंधिक पंजीकरण प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है इस विनियम के प्रावधान 9 के अंतर्गत जारी अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र,

(ग) "स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है इस विनियमन के प्रावधान 22 के अंतर्गत जारी स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र,

(घ) "स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान या लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान" से अभिप्रेत है– (i) 1–40 बेड की क्षमता वाला कोई हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, सेनेटोरियम, जिसमें डे–केयर मेडिकल सर्विसेज/ओ०पी०डी० क्लिनिक्स/डिस्पेंसरी/डेंटल क्लिनिक्स/डायग्नोस्टिक सेवा हो या न हो, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली में बीमारी, चोट, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मैलिटी या प्रेग्नेंसी के लिए डायग्नोसिस, उपचार या केयर की जरूरत वाली सर्विसेज, फैसिलिटीज देता हो, जिसे किसी व्यक्ति या लोगों के ग्रुप ने बनाया और चलाया या अनुरक्षित किया हो, चाहे वह निगमित हो या नहीं ; या

(ii) उपप्रावधान (i) में निर्दिष्ट किसी प्रतिष्ठान के एक स्वतंत्र इकाई या भाग के रूप में स्थापित स्थान, रोगों के निदान या उपचार के संबंध में, जहॉ प्रयोगशाला या अन्य चिकित्सा उपकरणों की सहायता से रोग संबंधी, जीवाणु संबंधी, आनुवशिक, रेडियोलॉजिकल, रासायनिक, जैविक जॉच या अन्य नैदानिक या जॉच सेवाएँ आमतौर पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, की जाती हैं, स्थापित की जाती हैं और प्रशासित या अनुरक्षित की जाती हैं, या

(iii) व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह–चाहे वह निगमित हो या न हो – द्वारा स्थापित, प्रशासित या अनुरक्षित स्वतंत्र OPD क्लिनिक/डिस्पेंसरी/दंत चिकित्सा क्लिनिक।

और इसमें निम्नलिखित के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाला लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान शामिल होगा –

(क) सरकार अथवा सरकार का कोई विभाग;

(ख) कोई न्यास, चाहे सार्वजनिक हो अथवा निजी;

(ग) केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम/नियम के तहत पंजीकृत एक निगम (सोसाइटी सहित), चाहे वह सरकार के स्वामित्व में हो अथवा नहीं;

(घ) एक स्थानीय प्राधिकरण; और

(च) एकल डॉक्टर,

लेकिन इसमें सशस्त्र बलों के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाले लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान शामिल नहीं हैं।

(ड) *"मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली"* से तात्पर्य है एलोपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणाली अथवा कोई अन्य चिकित्सा प्रणाली, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर मान्यता दी जाए।

(च) *"हेल्थकेयर प्रैक्टिशनर"* से तात्पर्य है एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर जिसे राज्य या राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो, जैसे निदान और उपचार और मान्यता प्राप्त प्रणालियों (जैसे, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी) में योग्यता रखते हों और संबंधित सरकारी चिकित्सा परिषदों के साथ पंजीकृत हों।

(छ) *"रजिस्टर"* से तात्पर्य है प्राधिकरण द्वारा बनाए गए रजिस्टर से है, जिसमें इस विनियम के प्रावधान 27 के तहत पंजीकृत लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों की संख्या शामिल हो।

(ज) *"पंजीकरण"* का तात्पर्य है पंजीकरण प्राधिकार के साथ इस विनियम के प्रावधान 5 के अंतर्गत पंजीकरण करना।

(झ) "विनियम" से तात्पर्य है बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा स्थापना (स्थापना एवं निबंधन) विनियम, 2026।

(ञ) "मानकों" से तात्पर्य उन शर्तों से है जैसा कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए निर्धारित किया जाय।

(ट) "राज्य सरकार" से तात्पर्य है बिहार सरकार।

(ठ) "निदेशालय" से तात्पर्य है स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, बिहार।

(द) "अनुलग्नक" से तात्पर्य है इस विनियमन के साथ संलग्न अनुलग्नक।

अध्याय II

लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के लिए राज्य परिषद और जिला पंजीकरण प्राधिकार

3. ***लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान हेतु राज्य परिषद*** – (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान हेतु राज्य परिषद का गठन करेगी ।

(2) राज्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: –

(क) विशेष सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग – पदेन अध्यक्ष;

(ख) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के निदेशक प्रमुख (प्रशासन) – पदेन सदस्य

(ग) एक आयुष चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित) – सदस्य

(घ) एक उप–सचिव स्तर का अधिकारी (स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित) –सदस्य सचिव

(ङ) आईएमए का एक प्रतिनिधि – सदस्य

(3) राज्य परिषद के मनोनीत सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, परंतु वे पुनः नामांकन के पात्र नहीं होंगे। आयुष चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन आयुष के विभिन्न विधाओं से चक्रीय आधार पर किया जाएगा।

(4) राज्य परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्: –

(क) लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान का राज्य रजिस्टर संकलित और अद्यतन करना;

(ख) प्राधिकार के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई; और

(ग') राज्य में मानकों के क्रियान्वयन की स्थिति पर वार्षिक आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करना।

4. ***पंजीकरण के लिए प्राधिकार*** – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए, प्रत्येक जिले के लिए, जिला पंजीकरण प्राधिकार के नाम से एक प्राधिकर की स्थापना करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा: –

(क) संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ख) संबंधित जिले के जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी – सदस्य

(ग) आईएमए का एक प्रतिनिधि – सदस्य

5. ***स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण*** – कोई भी व्यक्ति तब तक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान नहीं चलाएगा जब तक कि वह इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत पंजीकृत न हो।

6. *पंजीकरण के लिए शर्त* – (1) पंजीकरण और इसे जारी रखने के लिए, प्रत्येक लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्: –

(i) सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक, कर्मियों की न्यूनतम आवश्यकता तथा अभिलेखों के रखरखाव और रिपोर्टिंग के लिए प्रावधान स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा अलग आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा;

(ii) ऐसी अन्य शर्तें जो स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा अलग आदेश द्वारा निर्धारित की जाय ;

(iii) स्वास्थ्य सेवा संस्थान के कार्य घंटों के दौरान, संबंधित मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति का कम से कम एक "हेल्थकेयर प्रैक्टिशनर" उपलब्ध होना चाहिए। ड्यूटी पर तैनात "हेल्थकेयर प्रैक्टिशनर" का नाम इस प्रकार प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि उस संस्थान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

7. *लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान का वर्गीकरण* – (1) विभिन्न प्रणालियों के लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों को ऐसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाय।

(2) ऊपर उप–प्रावधान (1) में निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए भिन्न–भिन्न मानक निर्धारित किए जा सकेंगे।

अध्याय III

पंजीकरण की प्रक्रिया

8. *औपबंधिक पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन* – (1) औपबंधिक पंजीकरण के उद्देश्य से, अनुलग्नक 1 में दिए गए प्रपत्र में प्राधिकार को एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन के साथ 500 रुपये का शुल्क और अनुलग्नक 1 में निर्धारित विवरण संलग्न होने चाहिए।

(2) आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि कोई स्वास्थ्य सेवा स्थापन इस विनियम के प्रारंभ के समय या इस विनियमन के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण सेवा प्रारंभ होने से पहले अस्तित्व में है, तो उसके औपबंधिक पंजीकरण के लिए आवेदन इस विनियम के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण सेवा प्रारंभ होने की तिथि से तीन महीने के भीतर किया जाएगा और एक

नया स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान जो इस विनियमन के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण सेवा प्रारंभ होने के बाद अस्तित्व में आता है, उसे स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान शुरू होने से पहले औपबंधिक पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(4) यदि कोई लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 के अन्तर्गत पूर्व से ही पंजीकृत है तो वह इस विनियम के अन्तर्गत पंजीकृत माना जायेगा।

और यह भी कि, यदि कोई लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 के अतिरिक्त किसी अन्य विद्यमान कानून के अन्तर्गत पहले से ही पंजीकृत है, तो भी उसे उप–प्रावधान (1) में सदर्भित अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

9. *औपबंधिक पंजीकरण का प्रमाणपत्र* – प्राधिकार, ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, आवेदक को अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न प्रारूप मे औपबधिक पजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। यदि प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर औपबंधिक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तो स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान को औपबंधिक रूप से पंजीकृत माना जाएगा।

10. *औपबंधिक पंजीकरण से पूर्व कोई जांच नहीं* – प्राधिकार औपबंधिक पंजीकरण प्रदान करने से पूर्व कोई जांच नहीं करेगा।

11. *औपबंधिक पंजीकरण की वैधता* – प्रत्येक अस्थायी पंजीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और ऐसे पंजीकरण को अगले दो बार, प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित प्राधिकार से स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

12. *पंजीकरण प्रमाण* **पत्र का प्रदर्श** – प्रमाण–पत्र को स्वारथ्य सेवा प्रतिष्ठान में किसी ऐसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्श किया जाएगा, जिससे कि उस प्रतिष्ठान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह दिखाई दे।

13. *डुप्लीकेट प्रमाण पत्र* – यदि प्रमाणपत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो प्राधिकार, स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के अनुरोध पर और 500 रुपये का शुल्क जमा करने पर, एक डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

14. *पंजीकरण प्रमाण पत्र का अहस्तांतरणीय होना* – (1) पंजीकरण प्रमाण पत्र अहस्तांतरणीय होगा।

(2) स्वामित्व या प्रबंधन में परिवर्तन की स्थिति मे, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान 30 दिनों के भीतर ऐसे बदलाव की सूचना प्राधिकार को देगा।

(3) श्रेणी या स्थान के परिवर्तन की स्थिति में या लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करना बद करने पर, ऐसे लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकार को समर्पित कर दिया जाएगा और लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए नए सिरे से आवेदन करेगा।

15. ***पंजीकरण की समाप्ति का प्रकाशन*** – प्राधिकार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 31 दिसंबर तक उन लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के नाम प्रकाशित करेगा, जिनका पंजीकरण समाप्त हो ग़या है या निलंबित या रद्द कर दिया गया है।

16. ***पंजीकरण का नवीनीकरण*** – अस्थायी पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन, अस्थायी पजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से तीस दिन पहले, 500 रुपये की फीस के साथ किया जाएगा; और यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन अस्थायी पंजीकरण की वैधता समाप्त होने के बाद किया जाता है, तो प्राधिकार 500 रुपये की फीस और 500 रुपये की विलंब शुल्क के भुगतान पर पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति देगा।

17. ***स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन*** – किसी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान द्वारा स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन अनुलग्नक 1 में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकार को किया जाएगा और इसके साथ 500 रुपए का शुल्क भी संलग्न होगा।

18. ***आवेदन का सत्यापन*** – स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान , स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित तरीके से, निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

19. ***आपत्तियों की सूचना*** – यदि किसी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के विरुद्ध आवेदन के 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो ऐसी आपत्तियों की सूचना उस स्वास्थ्य सेवा संस्थान को 45 दिनों की अवधि के भीतर जवाब देने के लिए दी जाएगी; ऐसा न करने पर, आवेदन/पंजीकरण रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

20. ***स्थायी पंजीकरण के लिए मानक*** – स्थायी पंजीकरण केवल तभी प्रदान किया जाएगा, जब कोई लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान निर्धारित पंजीकरण मानकों को पूरा करता हो। स्वास्थ्य विभाग, बिहार पंजीकरण मानकों का निर्धारण कर सकेगा।

21. *पंजीकरण की अनुमति देना या न देना* – प्राधिकार निर्धारित अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद और उसके बाद अगले तीस दिनों के भीतर निम्नलिखित के संबंध में आदेश पारित करेगा–

(क) स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन को मंजूरी देना; या

(ख) आवेदन को अस्वीकृत करना:

परन्तु यह कि, प्राधिकार आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, संस्थान को अपनी बात रखने का उचित अवसर देगा। यह अस्वीकृति एक तर्कसगत आदेश पारित करके प्रभावी की जाएगी।

22. *स्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र* – (1) यदि प्राधिकार, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन को स्वीकार करता है, तो वह निर्धारित प्रपत्र में, जिसे अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न किया गया है, स्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) यह प्रमाण पत्र तब तक स्थायी प्रकृति का रहेगा, जब तक कि इसे जारी करने वाले प्राधिकार द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।

23. *स्थायी पंजीकरण के लिए नया आवेदन* – स्थायी पंजीकरण के लिए किसी आवेदन को अस्वीकार किए जाने से, कोई लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान, स्थायी पंजीकरण के लिए फिर से आवेदन करने से वंचित नहीं होगा; बशर्ते वह ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे (जैसा कि अपेक्षित हो) कि उसने उन कमियों को दूर कर लिया है जिनके आधार पर उसका पिछला आवेदन अस्वीकार किया गया था।

24. *पंजीकरण रद्द करना* – (1) यदि, किसी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के पंजीकृत होने के बाद किसी भी समय, प्राधिकार को यह विश्वास हो जाता है कि –

(क) पंजीकरण की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है; या

(ख) स्वास्थ्य सेवा संस्थान के प्रबंधन का दायित्व जिस व्यक्ति को सौंपा गया था, उसने गलत या भ्रामक जानकारी दी है,

तो वह उस स्वास्थ्य सेवा संस्थान को एक नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें यह बताने के लिए कहा जाएगा कि नोटिस में उल्लिखित कारणों के आधार पर, इस विनियम के तहत उसका पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2) यदि लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान को उचित अवसर देने के पश्चात, प्राधिकार संतुष्ट हो जाता है कि इस विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसे स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक आदेश द्वारा उसका पंजीकरण रद्द कर सकता है।

(3) ऊपर के उप – प्रावधान 24(2) के तहत दिया गया हर आदेश प्रभावी होगा –

(क) जहॉ ऐसे आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है या अपील करना नहीं चुना गया है, वहॉ उस अवधि के समाप्त होते ही, जो प्राधिकार द्वारा ऐसी अपील के लिए तय की गई है; और

(ख) जहॉ ऐसी अपील की गई है और उसे खारिज कर दिया गया है, वहाँ अपील खारिज करने के आदेश की तारीख से:

बशर्ते कि प्राधिकार, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर पंजीकरण रद्द करने के बाद, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों को तुरंत काम करने से रोक सकता है, यदि मरीजों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कोई आसन्न खतरा हो।

25. *प्रवेश करने की शक्ति* –(1) किसी नैदानिक प्रतिष्ठान में प्रवेश और उसकी तलाशी, जिला प्राधिकार द्वारा, या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी या टीम द्वारा, या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए की जा सकती है। ऐसा निर्णय जिला प्राधिकार के सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाना आवश्यक होगा।

(2) नैदानिक संस्थानों में ऐसी प्रविष्टि और तलाशी तब की जा सकती है, यदि कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोई नैदानिक संस्थान चला रहा हो, या निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन नहीं कर रहा हो, या यह मानने का उचित कारण हो कि नैदानिक संस्थान का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिनके लिए वह पंजीकृत है, या वह इस विनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंधन करता है; ऐसी स्थिति में, सभी उचित समयों पर, संस्थान में प्रवेश करके किसी भी रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज, उपकरण और वस्तुओं का निरीक्षण किया जा सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(3) निरीक्षण दल, प्रतिष्ठान को लिखित रूप में दौरे की तारीख और निरीक्षण के कारणों के बारे में सूचित करेगी। दल, परिसर के उन सभी हिस्सों की जांच करेगी जिनका उपयोग नैदानिक प्रतिष्ठान के लिए किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है,

साथ ही, वह उपकरणों, फर्नीचर और अन्य सहायक सामग्रियों का निरीक्षण करेगी, और कार्यरत या नियोजित किए जाने वाले तकनीकी कर्मचारियों की पेशेवर योग्यताओं के बारे में पूछताछ करेगी। इसके अलावा, टीम पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन मे दिए गए बयानों को सत्यापित करने के लिए, ऐसी कोई भी अन्य पूछताछ कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे। प्रतिष्ठान के संचालन से जुडे सभी व्यक्ति, निरीक्षण टीम को पूरी और सही जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे।

(4) प्राधिकार द्वारा इस प्रकार गठित अधिकारी और/या निरीक्षण दल, निरीक्षण के एक सप्ताह के भीतर, उचित कार्रवाई हेतु प्राधिकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

26. **अपील** — (1) कोई भी व्यक्ति, जो पंजीकरण प्राधिकार के किसी ऐसे आदेश से पीडित है जिसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र देने या उसका नवीनीकरण करने से इनकार किया गया हो, या पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया हो तो, वह 30 दिनों के भीतर और निर्धारित प्रपत्र में (जो अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न है) राज्य परिषद के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

परन्तु, राज्य परिषद निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की गई अपील पर भी विचार कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता किसी पर्याप्त कारणवश समय पर अपील प्रस्तुत करने से वंचित रह गया था।

(2) उप–प्रावधान (1) के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील अनुलग्नक 3 में की जाएगी और उसके साथ 1000 रुपये का शुल्क भी जमा करना होगा।

अध्याय IV

स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का रजिस्टर

27. **लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का रजिस्टर** — (1) प्राधिकार अपनी स्थापना के एक वर्ष के भीतर, अपने द्वारा पंजीकृत छोटे और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का एक रजिस्टर डिजिटल प्रारूप में संकलित, प्रकाशित और अनुरक्षित करेगा और यह इस प्रकार जारी किए गए प्रमाण पत्र का विवरण, स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय, बिहार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और रीति से रखे जाने वाले एक रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(2) प्रत्येक प्राधिकार, जिसमें किसी अन्य ऐसे प्राधिकार को भी शामिल किया गया है, जिसे वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए स्थापित किया गया है, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के रजिस्टर में की गई प्रत्येक प्रविष्टि की एक प्रति डिजिटल प्रारूप में "छोटे और मध्यम स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की राज्य परिषद" को उस रीति से उपलब्ध कराएगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जा सकती है कि "राज्य रजिस्टर" राज्य में

पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा रखे जा रहे रजिस्टरों के साथ निरंतर अद्यतन (up-to-date) बना रहे।

28. *लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का राज्य रजिस्टर का रखरखाव* – बिहार का स्वास्थ्य विभाग, डिजिटल रूप मे और ऐसे प्रारूप में, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित विवरण शामिल हों, एक रजिस्टर का रखरखाव करेगा, जिसे 'लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों का राज्य रजिस्टर" के नाम से जाना जाएगा।

अध्याय V

दंड

29. *दंड* – जो कोई भी इस विनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेगा, यदि कहीं और कोई दंड निर्धारित नहीं है तो, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा, उसे पहले उल्लंघन के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने से, दूसरे उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने से और उसके बाद के उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

इसके बावजूद, यदि स्वास्थ्य सेवा संस्थान इस विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना जारी रखता है, तो उसका पंजीकरण तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि इस विनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर लिया जाता।

30. *गैर–पंजीकरण के लिए आर्थिक दंड* – (1) जो कोई भी बिना पंजीकरण के कोई स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान चलाएगा, वह पहली बार उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये के आर्थिक दंड का भागी होगा; दूसरी बार उल्लंघन करने पर पच्चीस हजार रुपये के आर्थिक दंड का भागी होगा; और इसके बाद किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, ऐसे स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा और प्राधिकार द्वारा "भारतीय न्याय संहिता" की सुसंगत धारा के तहत उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

(2) प्राधिकार के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उक्त निर्णय की तिथि से तीन महीने की अवधि के अन्दर राज्य परिषद को अपील कर सकता है।

31. *निर्देशों की अवहेलना, बाधा डालना और जानकारी देने से इनकार करना* – (1) जो कोई भी जान–बूझकर, इस विनियम के तहत निर्देश देने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा विधिपूर्वक दिए गए किसी निर्देश की अवहेलना करता है, या किसी व्यक्ति या प्राधिकार को उन कार्यों के निर्वहन में बाधा डालता है, जिन्हें उस व्यक्ति या प्राधिकारी को इस विनियम के तहत पूरा करना आवश्यक या अधिकृत है, तो वह मौद्रिक दंड का भागी होगा, जो पॉच लाख रुपये तक हो सकता है।

(2) जो कोई भी, इस विनियम के तहत या इसके अधीन किसी जानकारी को देने के लिए बाध्य होने पर, जान–बूझकर ऐसी जानकारी को रोककर रखता है, या ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता है कि वह झूठी है, या जिसे वह सच नहीं मानता है, तो वह आर्थिक दंड का भागी होगा, जो पॉच लाख रुपये तक हो सकता है।

(3) उप–प्रावधानों (1) और (2) के तहत निर्णय देने के उद्देश्य से, कोई भी मौद्रिक जुर्माना लगाने के लिए, प्राधिकार संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का उचित अवसर देने के बाद, निर्धारित तरीके से एक जांच करेगा।

(4) आर्थिक दंड की मात्रा निर्धारित करते समय, प्राधिकार स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान की श्रेणी, आकार और प्रकार, तथा उस क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे, जहॉ वह संस्थान स्थित है।

(5) प्राधिकार के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उक्त निर्णय की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर राज्य परिषद को अपील कर सकता है।

(6) उपर्युक्त उप–प्रावधान (5) में निर्दिष्ट अपील फाइल करने का तरीका ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाएगा।

32. *कम्पनियों द्वारा उल्लंघन* – (1) जहां इस विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, साथ ही कंपनी भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और जुर्माने का उत्तरदायी होगी:

परंतु इस उप–प्रावधान में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपर्युक्त उप–प्रावधान (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां इस विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि उल्लंघन किसी अधिकारी या भागीदार या निदेशक की सहमति या मिलीभगत से हुआ है या उनकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो उसे भी उस उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और वह जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण – इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए – "कंपनी" का अर्थ है एक निगमित निकाय और इसमें फर्म या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ शामिल है।

33. *सरकारी विभागों द्वारा उल्लंघन* – (1) जहां इन विनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है, तो ऐसे सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान का प्रमुख सेवा नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

बशर्ते कि इस प्रावधान में निहित कुछ भी ऐसे स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के प्रमुख को किसी भी दंड का उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित तत्परता बरती थी।

(2) उप–प्रावधान (1) में निहित किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, जहां इस विनियम के तहत कोई अपराध किसी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के प्रमुख के अलावा किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, ऐसे अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार दंडित किया जा सकेगा।

34. *जुर्माने की वसूली* – जो कोई जुर्माना देने में असफल रहता है, लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान का राज्य परिषद अपने द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र तैयार कर सकेगी जिसमें ऐसे व्यक्ति से देय जुर्माने का उल्लेख होगा और उसे उस जिले के कलेक्टर को भेज सकेगी जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी है या निवास करता है या अपना व्यवसाय करता है और उक्त कलेक्टर ऐसे प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उसमें निर्दिष्ट राशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह भू–राजस्व का बकाया हो।

अध्याय VI

प्रकीर्ण

35. *सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण* – (1) इस विनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के संबंध में, किसी भी प्राधिकार या राज्य परिषद या जिला प्राधिकार के किसी सदस्य, या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) इस विनियम के प्रावधानों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के आशय से किए गए किसी भी कार्य के कारण हुई या होने की संभावना वाली किसी भी

हानि या क्षति के सबंध में, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जा सकेगी।

36. *विवरणियां आदि का प्रस्तुत करना* – प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान ऐसे समय के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जैसा कि उस निमित्त विहित किया जाए, प्राधिकार या राज्य परिषद को ऐसे विवरणियां या आंकडे तथा अन्य सूचना ऐसे तरीके से प्रस्तुत करेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए।

37. *निर्देश देने की शक्ति* – इस विनियमन के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकार के पास लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के उचित कामकाज के लिए रिटर्न, आंकड़े और अन्य जानकारी प्रस्तुत करने सहित ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी और ऐसे निर्देश बाध्यकारी होंगे।

38. *प्राधिकार के कर्मचारी इत्यादि का लोक सेवक होना* – प्राधिकरण और राज्य परिषद का प्रत्येक कर्मचारी, इस विनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते समय या विनियम का तात्पर्य रखते हुए, भारतीय न्याय संहिता के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

39. *कठिनाइयों का निराकरण* – (1) यदि इस विनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो स्वास्थ्य विभाग, आदेश या अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस विनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3/6/26

(कुमार रवि)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :–18/विविध–18/2025–555(18)/ स्वा० पटना, दिनांकः– 03/06 /2026

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना कि सौ प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाय।

प्रतिलिपि :–ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सचिव, विधि विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद, पटना को सभा/परिषद के पटल पर रखने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना/प्रबंध महानिदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रिय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/निदेशक, आई०जी०आइ०एम०एस०, पटना/निदेशक, ए०आई०आई०एम०एस०, पटना /अध्यक्ष, आई०एम०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर (श्री दिग्विजय), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि विभागीय साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3/6/22

सरकार के सचिव।

अनुलग्नक— 1

लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के औपबंधिक/स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र

1 प्रतिष्ठान का नाम:—————————————————————————

2. पता:——————————————————————————————

गॉव/शहर : ——————— ब्लॉक : —————— जिला . ————— राज्य : —————— पिन कोड : ———— फोन नबर (एसटीडी कोड के साथ): मोबाइल : ————————————————— फ़ैक्स :——————————————

ईमेल आईडी :—————————————————————————————

वेबसाइट (यदि कोई हो)————————————————————————

3. आरंभ वर्ष : ——————————————

4. स्थान : ग्रामीण शहरी

5. स्वामित्व

सार्वजनिक क्षेत्र

केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय सरकार–कृपया निर्दिष्ट करें .— सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रेलवे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) स्वायत्त सगठन कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें):

प्राइवेट सेक्टर

व्यक्तिगत स्वामित्व/पंजीकृत भागीदारी/पंजीकृत कंपनी/सहकारी समिति

सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट/रूल के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्ट/चौरिटेबल (कृपया बताएं): कोई अन्य (कृपया बताएं) : ———————————————

6. लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के मालिक का नाम ———————————

शैक्षणिक योग्यता ————————————————————————

पता :———————————————————————————————

गाँव/शहर :——————————————————ब्लॉक :—————

ज़िला :——————————————राज्य :—————पिन कोड :——

टेलीफ़ोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ): मोबाइल :—————————————— फ़ैक्स ——————————————ईमेल आईडी :———————————

7. लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के इंचार्ज व्यक्ति का नाम : ——————

पद का नाम : ————————————————————

पता :———————————————————————————————

गाँव/शहर :————————————ब्लॉक :——————————————

ज़िला :——————————राज्य :——————पिन कोडरू————————

टेलीफ़ोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ): मोबाइल :————————————————

फ़ैक्स——————————————ईमेल आईडी :——————————————

8. चिकित्सा पद्धति : (जो भी लागू हो, कृपया उसे टिक करें)
एलोपैथी आयुर्वेद यूनानी सिद्ध होम्योपैथी योग और प्राकृतिक चिकित्सा
9. प्रतिष्ठान का प्रकार: (जो भी लागू हो, उसे टिक करें)
बाह्य रोगी देखभाल प्रदान करना :—
एकल चिकित्सक पॉलीक्लिनिक उप—केंद्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक
व्यावसायिक चिकित्सा बांझपन दंत चिकित्सा क्लिनिक
औषधालय डायलिसिस केंद्र
एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (आईसीटीसी) वेलनेस/फिटनेस केंद्र
कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): ————————————————
रोगी देखभाल प्रदान करना :—
अस्पताल नर्सिंग होम प्रसूति गृह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेनेटोरियम कोई और (कृपया बताएं) : ———————————— टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक सर्विस देना प्रयोगशाला पैथोलॉजी हेमाटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स कलेक्शन केंद्र कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): ————————————————
डायग्नोस्टिक और इमेजिंग सेंटर
एक्स रे सेंटर मैमोग्राफी बोन डेंसिटोमेट्री सोनोग्राफी
कलर डॉप्लर सीटी स्कैन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई)
पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) स्कैन
इलेक्ट्रो मायो ग्राफी (ईएमजी)
कोई और (कृपया बताएं):————————————————————
कोई और (कृपया बताएं):————————————————————
10.सेवा का प्रकार (जो भी लागू हो, कृपया टिक करें)
सभी चिकित्सा प्रणालियों के लिए सामान्य एकल विशेषता बहु विशेषता सुपर विशेषता मोबाइल
a) एलोपैथी
सामान्य अभ्यास बाह्य—रोगी आंतरिक--रोगी दिवस देखभाल केंद्र
आपातकालीन/आकस्मिक आईसीयू आईसीसीयू
विकलांग व्यक्ति के लिए विशेष देखभाल सेवाएँ ब्लड बैंक
अंग/ऊतक बैंक
कोई और (कृपया बताएं): ————————————————
b) आयुर्वेद
औषध चिकित्सा शल्य चिकित्सा शोधन चिकित्सा रसायन पद्धति व्यवस्था
कोई और (कृपया बताएं): ————————————————

c) यूनानी

मताब जराहत इलाज–बित–यदबीर हिफजान–ए–सेहत

कोई और (कृपया बताएं): ——————————————————————

d) सिद्ध

मारुथौवन सिरप्पु मारुथुवन वर्मन थोककनम और योग

कोई और (कृपया बताएं). ——————————————————————

e) होम्योपैथी

सामान्य होम्योपैथी

कोई और (कृपया बताएं):——————————————————

f) प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक दवाओं के साथ बाह्य चिकित्सा आंतरिक चिकित्सा

कोई और (कृपया बताएं): ——————————————————————

g) योग

(कृपया बताएं):——————————————————————

आधारभूत संरचना विवरण

11. प्रतिष्ठान का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) :

a) कुल क्षेत्रफल :————————————

b) निर्मित क्षेत्रफल :————————————

बाह्य रोगी विभाग :

12. ओ०पी०डी० क्लीनिक की संख्या .

13. ओपीडी क्लीनिकों का स्पेशलिटी के हिसाब से बंटवारा

क्रमांक	स्पेशलिटी	कमरों की संख्या

14. अन्तःरोगी विभागः

14.1 कुल बेड की संख्या :——————————————————————

14.2 बिस्तरों का विशेषता–वार वितरण, कृपया निर्दिष्ट करें

क्रमांक	स्पेशलिटी	कमरों की संख्या

15. क्या क्लीनिक का वेस्ट डिस्पोजल लाइसेंस पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम वगैरह से लिया गया है ?

हॉ नहीं आवेदन किया

16. क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/अथॉरिटी से क्लियरेंस लिया गया है?

हॉ नहीं आवेदन किया

मानव संसाधन

17. स्टाफ की कुल संख्या (आवेदन की तिथि तक) :

स्थाई स्टाफ की संख्या : ——————— अस्थायी स्टाफ की सख्या ——————— कृपया नीचे जानकारी दें :—

कर्मचारियों की श्रेणी	**नाम**	**योग्यता**	**रजिस्ट्रेशन नंबर (जहां लागू हो)**	**सेवा की प्रकृति अस्थायी/स्थायी**
डॉक्टरों				
नर्सिंगस्टाफ				
पैरा—मेडिकल स्टाफ				
फर्मासिस्टों				
सहयोगी कर्मचारी — वर्ग				
अन्य कृपया निर्दिष्ट करें				

अलग से एनेक्सर अटैच किया जा सकता है।

18. पंजीकरण शुल्क का भुगतानः

ऑनलाइन भुगतान

राशि (रु० में): ———————————————————————

विवरण :———————————————————————

मैं, ... अपनी और कंपनी/सोसाइटी/एसोसिएशन/निकाय की ओर से एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य हैं और मैं बिहार लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना एवं पंजीकरण) विनियम 2026 के सभी प्रावधानों का पालन करूँगा/करूँगी।

मैं वादा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में मैं सही सूचना ससमय पंजीकरण प्राधिकार को बताऊँगा/दूँगी।

स्थान— **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर**

दिनांक :— कार्यालय का मुहर

अनुलग्नक— 2

औपबंधिक/स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र
लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के पंजीकरण हेतु

औपबंधिक/स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्याः
जारी करने की तिथिः
मान्यः

1. लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान का नामः——————————————————————
2. पताः————————————————————————————
3. लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान के मालिक का नामः————————————————
4. प्रभारी व्यक्ति का नामः—————————————————————————
5. चिकित्सा प्रणालीः——————————————————————————
6. प्रतिष्ठान का प्रकारः———————/——————————————————————

लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना और पंजीकरण) विनियम 2026 के प्रावधानों के तहत औपबंधिक/स्थायी रूप से पंजीकृत किया जाता है। यह प्राधिकार विनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।

जारीकर्ता प्राधिकरण का पदनाम
स्थान और दिनांक :

जिला पंजीकरण प्राधिकरण

पताः

शिकायत के मामले में फ़ोन नंबर

अनुलग्नक–3

अपील के लिए आवेदन

सेवा में,

राज्य परिषद,
(लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान)
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार. पटना ।

महोदय,

मैं, डॉ. ....., निवासी ....., ने "लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (स्थापना और पंजीकरण) विनियम 2026" के तहत, ... पर स्थित अपने .... के पंजीकरण हेतु आवेदन किया था / एक वैध लाइसेंस धारक हूँ, जिसका पंजीकरण क्रमांक .. है।

मुझे जिला प्राधिकार के पत्र क्रमांक दिनांक के अनुसार सूचित किया गया कि,

i) कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है,
ii) कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया गया है
iii) कि मुझे लघु और मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान चलाने से रोका गया है।
iv) कि मुझ पर इस विनियम के तहत जुर्म के लिए पेनल्टी लगाई गई है
v) कोई अन्य .....

जिला प्राधिकार का ऊपर दिया गया फैसला सही नहीं लगता। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि नीचे दिए गए कारणों से मेरे आवेदन पर विचार करें;

i) .....
ii) .....
iii) ....

अगर आवश्यक हुआ तो मैं आपके सामने व्यक्तिगत रूप में सुनवाई के लिए पेश होने को तैयार हूँ। मैं इसके साथ 1000 रुपये का शुल्क भी जमा कर रहा हूँ।

धन्यवाद,

स्थानः **हस्ताक्षर**

तारीख :